

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या

12/212/2017

प्रवेश तिथि

19-12-2017

निर्णय दिनांक

09-05-2018

01- कालासिंह पुत्र बधावा सिंह जाति रायसिख निवासी ग्राम जहानपुर तहसील रामगढ़ जिला अलवर

—: अपीलाण्ट

बनाम

01- तहसीलदार रामगढ़, जिला अलवर।

—: रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार रामगढ़
दिनांक 23.10.2017 अन्तर्गत धारा 91 भू0
राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 408/2017

उपस्थित:-

01-श्री हरमीत सिंह

—वकील अपीलाण्ट

—:निर्णय:-

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार रामगढ़ के आदेश दिनांक 23.10.2017 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम जहानपुर की सरकारी चारागाह भूमि आराजी खसरा नम्बर 340 रकबा 2.07 है0 में से 0.13 है0 व खसरा नं0 337 रकबा 1.38 है0 में से 0.25 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलांट अनुपस्थित। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में निवेदन किया है कि ग्राम जहानपुर की सरकारी चारागाह भूमि आराजी खसरा नम्बर 340 रकबा 2.07 है0 में से 0.13 है0 व खसरा नं0 337 रकबा 1.38 है0 में से 0.25 है0 पर अवैध कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 19.09.2017 को पटवारी द्वारा करने पर अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने तीन माह का सिविल कारावास व लगान से दण्डित किया। अपीलांट को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी माना है जबकि पूर्व में अपीलांट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलार्थी को सिविल कारावास व पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 23.10.2017 के विरुद्ध दिनांक 19.12.2017 को पेश किया। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड एवं पटवारी हल्का रिपोर्ट से अपीलार्थी का पश्चात्वर्ती अतिक्रमण साबित होता है अपीलार्थी द्वारा शपथ पत्र दिनांक 19.12.2017 में कब्जा छोड़ना बताया गया है,, जबकि तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 04.01.2018 अनुसार अपीलांट द्वारा गेहूँ की काश्त कर अतिक्रमण किया हुआ है तथा कब्जा नहीं छोड़ा है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 23.10.2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 09-05-2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)